कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

।। परिपत्र ।।

क्रमांक 620 / दो 12 1 / 2004 (फा 65)   उज्जैन, दिनांक 13 / 07 / 2023

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर द्वारा न्यायालयीन आपराधिक/सिविल (लंबित/निराकृत) अभिलेख बुलाये जाने पर उक्त अभिलेख साधारण डाक के माध्यम से खण्डपीठ इंदौर की ओर प्रेषित किया जा रहे है, जिससे वांछित अभिलेख माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को नियत समयावधि में प्राप्त नही होते हैं एवं साधारण डाक से भेजे गये अभिलेख गुम होने की संभावना बनी रहती हैं।

अतः समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं समस्त प्रभारी अधिकारीगण अभिलेखागार अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर द्वारा न्यायालय के आपराधिक/सिविल (लंबित/निराकृत) अभिलेख बुलाये जाने पर अभिलेख पंजीकृत डाक से एवं निकट दिनांक के प्रकरण विशेष वाहक के माध्यम से ही भिजवाये जावें एवं अभिलेख की पावती ली जाकर, पावती सुरक्षित रखी जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावें।

(आर0के0वाणी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)